भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009

(2009 का संख्यांक 4)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2009

फा. सं0 3–21/2009–बीएंडसीएस – भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं0 39 जो, –

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ट) के परंतुक तथा धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (अ) और 45 (अ) के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) और उप–धारा (2) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii), (iv) और (v) और धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. *(1)* इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवा संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान विनियम कहा गया है) में,–

(क) उप–खंड (iक) को उप–खंड (iख) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) उप–खंड (i) के पश्चात, निम्नलिखित उप–खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

''(iक) **''कैरिज शुल्क''** से अभिप्रेत है किसी प्रसारक द्वारा टीवी चैनलों के किसी वितरक को, अन्य प्रसारकों के चैनलों की तुलना में प्रसारक के विभिन्न चैनलों के स्थापन को विनिर्दिष्ट किए बिना, टीवी चैनलों के ऐसे वितरक द्वारा स्वामित्व किए अथवा प्रचालित वितरण प्लेटफार्म पर उस प्रसारक के चैनलों अथवा चैनलों के बुके के कैरिज के लिए संदत्त किया गया कोई शुल्क;''

(ग) उप–खंड (ठ) के पश्चात, निम्नलिखित उप–खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''(ठक) **''इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन सेवा''** से अभिप्रेत है एक या अधिक सेवा प्रदाताओं के क्लोजड नेटवर्क पर इंटरनेट प्रोटोकोल का प्रयोग करके एड्रेसेबल मोड में मल्टी चैनल टीवी कार्यक्रमों का वितरण;

(घ) उप–खंड (डग) को उप–खंड (डघ) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा;

(ड.) उप–खंड (डख) के पश्चात, निम्नलिखित उप–खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''(डग) **''स्थापन शुल्क''** से अभिप्रेत है किसी प्रसारक द्वारा टीवी चैनलों के किसी वितरक को, टीवी चैनलों के ऐसे वितरक द्वारा स्वामित्व किए अथवा प्रचालित वितरण प्लेटफार्म पर अन्य प्रसारकों के चैनलों अथवा बुके की तुलना में प्रसारक के चैनलों अथवा चैनलों के बुके के स्थापन के लिए संदत्त कोई शुल्क;'';

3. प्रधान विनियमों के विनियम 3 में,–

(क) उप–विनियम 3.2 के द्वितीय परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''परंतु यह भी कि इस उप–विनियम के उपबंध टीवी चैनलों के ऐसे वितरक के मामले में लागू नहीं होंगे जो किसी प्रसारक से किसी विशेष टीवी चैनल के सिगनल प्राप्त करता है, और उसके साथ ही अपने वितरण प्लेटफार्म पर उस चैनल को कैरी करने के लिए कैरिज शुल्क की मांग भी करता है।''।

(ख) उप–विनियम 3.2 में इस प्रकार अंतःस्थापित तीसरे परंतुक के पश्चात, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''स्पष्टीकरण 2. अनुरोधित चैनल(लों) के सिगनल उपलब्ध कराने के लिए एक ''पूर्व–शर्त'' के रूप में ऐसे प्रसारक द्वारा, जिससे टीवी चैनलों के किसी वितरक द्वारा सिगनल प्राप्त किए गए हैं, ''प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी'' अथवा ''पैकेज/टियर'' के अनुबंध के फलस्वरूप भी अयुक्तियुक्त निबंधनों का अधिरोपण होगा।''

4. प्रधान विनियमों के विनियम 4 में,–

(क) उप–विनियम 4.1 के प्रथम परंतुक में, ''करार, लिखित अथवा मौखिक'' शब्दों के स्थान पर, ''लिखित करार'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप–विनियम 4.1 के द्वितीय परंतुक में, ''करार, लिखित अथवा मौखिक'' शब्दों के स्थान पर, ''लिखित करार'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

5. प्रधान विनियमों में, विनियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः–

''4क. अंतरसंयोजन करार लिखित में किए जाएंगे.

4क.1 पे–चैनलों के प्रसारकों तथा टीवी चैनलों के वितरकों के लिए उनके सभी अंतरसंयोजन करारों के निबंधन और शर्तों को लिखित में रूपांतरित करना अनिवार्य होगा।

4क.2 पे–चैनलों का कोई प्रसारक अथवा टीवी चैनलों का कोई भी वितरक, जैसे मल्टी सिस्टम प्रचालक अथवा हैडएंड–इन–द–स्काई प्रचालक, एक लिखित अंतरसंयोजन करार किए बिना टीवी चैनलों के किसी भी वितरक को टीवी सिगनल उपलब्ध नहीं कराएगा।

4क.3 किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी आदेश अथवा निदेश अथवा निर्णय, जिसमें ऐसे न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष किसी लंबित किसी कार्यवाही पर कोई आदेश अथवा निदेश अथवा निर्णय भी शामिल है, के अनुसरण में अथवा अनुपालन में विनियम 4क.1 अथवा 4क.2 में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी प्रसारक अथवा टीवी चैनलों के वितरक, जैसे मल्टी–सिस्टम प्रचालक अथवा हैड–एंड–इन–द–स्काई प्रचालक द्वारा सिगनलों की किसी आपूर्ति अथवा टीवी चैनलों के सिगनलों की आपूर्ति को जारी रखने पर लागू नहीं होगी।

4क.4 पे–चैनलों के प्रत्येक प्रसारक, जो टीवी चैनलों के वितरक के साथ अंतरसंयोजन करार करता है, का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह करार निष्पादित किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर टीवी चैनलों के ऐसे वितरक को हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की एक प्रति सौंपे और इस संबंध में एक पावती प्राप्त करे, तथा इसी प्रकार, यथास्थिति, प्रत्येक मल्टी सिस्टम प्रचालक अथवा हैडएंड्स–इन–द–स्काई प्रचालक, जो किसी केबल प्रचालक के साथ अंतरसंयोजन करार करता है, का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह करार निष्पादित किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर ऐसे केबल प्रचालक को हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की प्रति सौंपे और इस संबंध में एक पावती प्राप्त करे।''।

6. प्रधान विनियमों के विनियम 13.2क में,–

(क) विनियम 13.2क.1 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''13.2क.1 प्रत्येक प्रसारक, जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4) के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व प्रसारण सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा ऐसे प्रारंभन के पश्चात ऐसी सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है, ऐसे प्रारंभन की तारीख से तीस दिन के भीतर उस तारीख को विद्यमान तथा तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर अस्तित्व में आने वाले सभी डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों को अपना संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव सूचित करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, डायरेक्ट–टु–होम प्लेटफार्म हेतु अंतरसंयोजन के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया होगा, जिनमें इन विनियमों की अनुसूची III में सूचीबद्ध निबंधन और शर्तें भी शामिल होंगीः

परंतु यह कि कोई भी प्रसारक, प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः, सब्सक्राइबरों के किसी भी वर्ग को, जिनमें वाणिज्यिक सब्सक्राइबर भी शामिल हैं, इसकी डायरेक्ट–टु–होम सेवा उपलब्ध न कराने के लिए किसी डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक को बाध्य नहीं करेगा।

परंतु यह और कि कोई प्रसारक डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों द्वारा सिगनलों की आपूर्ति के लिए विभिन्न संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव रख सकेगा––

(क) वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए, अर्थात :–

(i) तीन सितारा और उससे अधिक की रेटिंग वाले होटल;
(ii) हैरिटेज होटल (जैसाकि पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी होटलों के वर्गीकरण के लिए दिशा–निदेर्शों में वर्णित है);
(iii) कोई अन्य होटल, मोटल, इन अथवा ऐसी ही अन्य वाणिज्यिक स्थापना जो आवास एवं भोजन उपलब्ध करा रही है तथा जिसमें पचास अथवा अधिक कमरे हैं; और

(ख) किसी विशेष आयोजन के अवसर पर मनोरंजन कर विधि के तहत पंजीकृत किसी ऐसे स्थान पर, जिसके लिए भुगतान के आधार पर न्यूनतम पचास व्यक्तियों के लिए एक्सेस की अनुमति दी गई है, आम अवलोकन के लिए ऐसे प्रसारक के कार्यक्रमों के संबंध में।

<u>स्पष्टीकरण :</u>
शंकाओं के समाधान के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि साधारण सब्सक्राइबरों को सिगनलों के प्रावधान के लिए किसी प्रसारक द्वारा प्रकाशित संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव, जिनमें वाणिज्यिक निबंधनों सहित विभिन्न निबंधन और शर्तें अंतर्विष्ट हैं, ऐसे वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को सिगनलों के प्रावधान के लिए भी लागू होंगे, जो द्वितीय परंतुक में निर्दिष्ट नहीं हैं;''

(ख) विनियम 13.2क.2 के परंतुक में, ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9)'' शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवा संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)'' शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(ग) विनियम 13.2क.3 में,–

(i) ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9)'' शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)'' शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी; और

(ii) ''नब्बे दिन'' शब्दों के स्थान पर, ''तीस दिन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) विनियम 13.2क.4 में,–

(i) ''नब्बे दिन'' शब्दों के स्थान पर, ''तीस दिन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9)'' शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)'' शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(ड.) विनियम 13.2क.6 में,–

(i) उप–विनियम (1) के द्वितीय परंतुक में, ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9)'' शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)'' शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी; और

(ii) उप–विनियम (2) और उप–विनियम (3) में, ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9)'' शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)'' शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(च) विनियम 13.2क.11 के परंतुक में, ''समस्त बुके'' शब्दों के स्थान पर, ''कोई चैनल अथवा चैनल अथवा बुके'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. प्रधान विनियमों में, विनियम 13.2क.13 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएंगे, अर्थातः–

''13.2ख. डायरेक्ट–टु–होम के अलावा एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव.

13.2ख.1 प्रत्येक प्रसारक, जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4) के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व प्रसारण सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा ऐसे प्रारंभन के पश्चात ऐसी सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है, ऐसे प्रारंभन की तारीख से

तीस दिन के भीतर अपना संदर्भ अंतरसंयोजन प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, निम्न को छोड़कर एड्रेसेबल प्रणालियों के साथ अंतरसंयोजन के लिए अनुसूची III में सूचीबद्ध निबंधन और शर्तें भी शामिल होंगी––

(क) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 4क की उप–धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में केबल सेवा;

(ख) डायरेक्ट–टु–होम सेवा।

13.2ख.2 प्रत्येक प्रसारक, जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4) के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात प्रसारण सेवाएं शुरू करता है, ऐसे प्रारंभन से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी सेवाएं प्रदान करने से पूर्व, जो भी बाद में हो, प्राधिकरण को, अपना संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिसमें उप–विनियम 13.2ख.1 में निर्दिष्ट तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें निर्दिष्ट की गई होंगी तथा इसे ऐसी सूचना से पूर्व तथा उसके साथ–साथ अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

13.2ख.3 डायरेक्ट–टु–होम सेवा के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव से संबंधित विनियम 13.2क.1, 13.2क.2, 13.2क.4, 13.2क.5, 13.2क.6, 13.2क.7, 13.2क.8, 13.2क.9, 13.2क.10, 13.2क.11, 13.2क.12 और 13.2क.13 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 4क की उप–धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित केबल सेवाओं तथा डायरेक्ट–टु–होम सेवा को छोड़कर, एड्रेसेबल प्रणालियों के साथ अंतरसंयोजन के लिए ऐसे किसी संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव पर लागू होंगेः

परंतु यह कि कोई प्रसारक विभिन्न प्रकार की एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए विभिन्न संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव रख सकेगा।

13.2ख.4 टीवी चैनलों का कोई वितरक जो टीवी चैनलों के वितरण के लिए एक एड्रेसेबल प्रणाली का प्रयोग कर रहा है तथा, यथास्थिति, विनियम 13.2ख.1 और विनियम 13.2ख.2 में निर्दिष्ट संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के निबंधनों के अनुसार किसी प्रसारक से अंतरसंयोजन प्राप्त कर रहा है, यह सुनिश्चित करेगा कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए प्रयोग की जा रही एड्रेसेबल प्रणाली, एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशनों की पूर्ति करती है, जैसाकि इन विनियमों की अनुसूची IV में निर्दिष्ट हैः

परंतु यह कि ऐसे मामलों में, जहां प्रसारक की यह राय है कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए प्रयोग में लाई जा रही एड्रेसेबल प्रणाली इन विनियमों की अनुसूची IV में यथाविनिर्दिष्ट एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशनों की पूर्ति नहीं करती है, तो प्रसारक द्वारा ऐसी राय से सूचित किए जाने पर, टीवी चैनलों का वितरक एड्रेसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि0 अथवा ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथाअधिसूचित किसी अन्य एजेंसी से कराएगा तथा इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए प्रयोग में लाई जा रही एड्रेसेबल प्रणाली इन विनियमों की अनुसूची IV में यथाविनिर्दिष्ट एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशनों की पूर्ति करती है।

परंतु यह भी कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए प्रयोग में लाई जा रही एड्रेसेबल प्रणाली के बारे में, प्रथम परंतुक में यथानिर्दिष्ट ऐसी लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विनियमों की अनुसूची IV में यथाविनिर्दिष्ट एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशनों से संतुष्ट होने अथवा संतुष्ट न होने के बारे में, यथास्थिति, मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि0 अथवा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी के निष्कर्ष अंतिम होंगे।''।

8. प्रधान विनियमों में, अनुसूची II के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

''अनुसूची III

निबंधन और शर्तें जो डायरेक्ट–टु–होम प्लेटफार्म के लिए तथा अन्य एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के लिए अंतरसंयोजन हेतु संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव का अनिवार्यतः भाग होनी चाहिए

लाइसेंस शुल्क	करार की अवधि के दौरान प्रत्येक माह के लिए अथवा उसके भाग के लिए डीटीएच प्रचालक ....(प्रसारक का नाम) को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा जो वह दर होगी जिसे मासिक औसत सब्सक्राइबर स्तर से गुणा किया जाएगा। प्रति सब्सक्राइबर अलाकार्टे और बुके "दर" का आकलन इस आरआईओ के अनुबंध में किया गया है। इस आरआईओ के अनुबंध में उल्लिखित दरों में, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, सभी कर और उद्ग्रहण शामिल नहीं हैं। "मासिक औसत सब्सक्राइबर स्तर" संदर्भाधीन माह के पहले और अंतिम दिन को सब्सक्राइबरों की संख्या के योग, जिसे 2 से विभाजित किया गया है, के समान है। ....(प्रसारक का नाम) को संदेय मासिक लाइसेंस शुल्क के आकलन के प्रयोजनार्थ "सब्सक्राइबर" का आशय है, किसी कैलेण्डर माह के लिए, प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स, जोकि कि डीटीएच प्रचालक के माध्यम से ....(प्रसारक का नाम) के चैनल(लों) को प्राप्त कर रहा है। **<u>लाइसेंस शुल्क का आकलन :</u>** I. यदि कोई डीटीएच प्रचालक...........(प्रसारक का नाम) के एक अथवा अधिक बुके लेता है : (क) यदि डीटीएच प्रचालक अपने डीटीएच सब्सक्राइबरों को समग्र रूप से बुके प्रदान कर रहा है, तो ऐसे बुके के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क अनुबंध में यथाआकलित बुके दर के समान होगा जिसे बुके प्राप्त कर रहे सब्सक्राइबरों की संख्या की मासिक औसत संख्या से गुणा किया जाएगा।

	(ख) यदि डीटीएच प्रचालक अपने डायरेक्ट–टु–होम सब्सक्राइबरों को ऐसे विकल्पित बुके समग्र रूप से प्रदान नहीं कर रहा है बल्कि ऐसे बुके में शामिल केवल कुछ चैनल प्रदान कर रहा है अथवा ऐसे विकल्पित बुके में शामिल चैनलों को इस प्रकार पैकेज कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे विकल्पित बुके में शामिल विभिन्न चैनलों के लिए विभिन्न सब्सक्राइबर आधार बन रहा हो, तो डीटीएच प्रचालक द्वारा ऐसे समस्त विकल्पित बुके के लिए ....(प्रसारक का नाम) को भुगतान का आकलन उस चैनल के लिए सब्सक्राइबर बेस के आधार पर किया जाएगा जिसका बुके में शामिल चैनल के बीच सर्वोच्च सब्सक्राइबर आधार है । II. यदि डीटीएच प्रचालक कला–कार्टे आधार पर ....(प्रसारक का नाम) का एक अथवा अधिक सभी चैनल लेता है : (क) यदि डीटीएच प्रचालक अपने–अपने डीटीएच सब्सक्राइबरों को चैनल अला–कार्टे आधार पर प्रदान कर रहा है, तो ऐसे अला–कार्टे चैनलों के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क अनुबंध में यथाआकलित अला–कार्टे दर के समान होगा जिसे अला–कार्टे बेस पर पर चैनल प्राप्त कर रहे सब्सक्राइबरों की औसत संख्या से गुणा किया जाएगा । (ख) यदि डीटीएच प्रचालक अपने डायरेक्ट–टु–होम सब्सक्राइबर को कला–कार्टे के रूप में ऐसे विकल्पित अला–कार्टे चैनल प्रदान नहीं करता है, परंतु पैकेजों में अला–कार्टे प्रदान करता है, तो प्रत्येक अला–कार्टे चैनल के लिए ....(प्रसारक का नाम) को भुगतान का आकलन उस पैकेज में सब्सक्राइबर बेस के आधार पर किया जाएगा, जिसमें ऐसा विकल्पित अला–कार्टे चैनल रखा गया है। III. यदि कोई डीटीएच प्रचालक अला–कार्टे दर के आधार पर एक अथवा अधिक चैनल प्राप्त करता है और ऐसे विभिन्न बुके भी चुनता है जिसमें ....(प्रसारक का नाम) के अला–कार्टे आधार पर विकल्पित चैनल शामिल नहीं है : (क) बुके के लिए, मासिक लाइसेंस शुल्क का आकलन उपर्युक्त उप–खंड I के आधार पर किया जाएगा। (ख) अला–कार्टे चैनलों के लिए, मासिक लाइसेंस शुल्क का आकलन उपर्युक्त उप–खंड II के आधार पर किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क का भुगतान समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुरूप किसी विधारित कर/टीडीएस की कटौती के अध्यधीन होगा।
भुगतान के निबंधन	मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान ....(प्रसारक का नाम) द्वारा बिना किसी कटौती के डीटीएच प्रचालक की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किए गए बीजक की प्राप्ति के पन्द्रह (15) दिन के भीतर मासिक आधार पर बकाये में बिना किसी कटौती के किया जाएगा सिवाए विधारित कर/टीडीएस की कटौती को छोड़कर, जैसाकि इस आरआईओ में उपबंधित है।

	प्रत्येक माह की समाप्ति के सात दिन के भीतर, डीटीएच प्रचालक उस माह के लिए सब्सक्राइबरों की ओपनिंग, क्लोजिंग और औसत संख्या उपलब्ध करेगा, जिसके आधार पर ....(प्रसारक का नाम) डीटीएच प्रचालक को बीजक प्रस्तुत करेगा। यदि डीटीएच प्रचालक सात दिन की उक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट भेजने में असफल रहता है, तो ....(प्रसारक का नाम) को अधिकार होगा वह एक अनंतिम बीजक प्रस्तुत करे तथा डीटीएच प्रचालक इस खंड के निबंधनों के अनुरूप ऐसे अनंतिम बीजक के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। तथापि, अनंतिम बीजक उस राशि के लिए होना चाहिए जो डीटीएच प्रचालक द्वारा तत्काल पूर्व माह के लिए अदा किए जाने वाले मासिक लाइसेंस शुल्क की राशि से अनधिक हो। डीटीएच प्रचालक से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, पक्ष ....(प्रसारक का नाम) द्वारा प्रस्तुत किए गए अनंतिम बीजक तथा डीटीएच प्रचालक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के बीच आपसी सहमति के लिए कार्रवाई करेंगे। डीटीएच प्रचालक के लिए निर्दिष्ट निबंधनों के अनुरूप देय तिथि तक भुगतान करना अपेक्षित होगा तथा डीटीएच प्रचालक की ओर से ऐसे करने में किसी भी असफलता का अर्थ इसके तहत वास्तविक उल्लंघन कारित करेगा। विलंब से किए गए भुगतानों के लिए ब्याज वसूला जाएगा जिसका आकलन उस तारीख से, जिसको भुगतान देय था, लेकर उस तारीख तक .... प्रतिशत की यथानुपात मासिक दर से किया जाएगा, जिसको कि पूरा भुगतान किया गया। विलंब से किए गए भुगतानों पर ब्याज का अधिरोपण तथा संग्रहण देय तारीख तक लाइसेंस शुल्क अदा करने के डीटीएच प्रचालक के दायित्वों को समाप्त नहीं करेगा तथा ....(प्रसारक का नाम) करार के अंतर्गत अपने अन्य सभी अधिकारों तथा उपचारों को बनाए रखेगा। इसके अंतर्गत लाइसेंस शुल्क के समस्त भुगतानों में समस्त लागू अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है, जिनमें सभी और कोई सेवा कर, वैट, कार्य संविदा कर, सीमा–शुल्क, उत्पाद–शुल्क, मनोरंजन कर तथा ऐसे कर शामिल हैं। सभी ऐसे कर डीटीएच प्रचालक की लागत पर होंगे तथा डीटीएच प्रचालक से ....(प्रसारक का नाम) द्वारा विद्यमान दरों पर प्रभारित किए जाएंगे। यदि लाइसेंस शुल्क का भुगतान यथासंशोधित भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुरूप किसी विधारित कर/डीटीएस की कटौती के अध्यधीन है, तो डीटीएच प्रचालक ऐसे अवधि के भीतर जैसीकि आयकर अधिनियम/उसके अंतर्गत जारी नियम/अधिसूचनाओं/परिपत्रों में निर्दिष्ट की गई है, ...(प्रसारक का नाम) को कर विधारित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराएगा।
वितरण और सुरक्षा	सभी ....(प्रसारक का नाम) चैनल डीटीएच प्रचालक द्वारा सब्सक्राइबर को सुरक्षित एंक्रिप्टेड तरीके और बिना किसी परिवर्तन के वितरित किए जाने चाहिए। डीटीएच प्रचालक द्वारा अपने सब्सक्राइबरों को ....(प्रसारक का नाम) चैनलों के प्रसारण सिगनल के संबंध में डीटीएच प्रचालक द्वारा आवंटित अपलिंक विनिर्देशनों, उपग्रह क्षमता तथा अवसंरचना उसके डीटीएच प्लेटफार्म में समान विषय–वस्तु की भीतर

	किसी अन्य चैनल के प्रसारण सिगनल से खराब नहीं होगी।
एंटी पायरेसी	किसी चैनल, पूर्णतया अथवा उसके किसी भाग की, चोरी, पायरेसी, अनधिकृत री–ट्रांसमिशन, पुनर्वितरण, अथवा प्रदर्शन, नकल अथवा प्रतिकृति (जिसे इसमें इसके पश्चात सामूहिक तौर पर "पायरेसी" कहा गया है) को रोकने के उद्देश्य से डीटीएच प्रचालक करार की अवधि के प्रारंभन से पूर्व तथा अवधि के दौरान सभी अवसरों पर, ...(प्रसारक का नाम) द्वारा समय–समय पर, गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से, लिखित में, यथानिर्दिष्ट (सुरक्षा विनिर्देशनों), पूर्णतया प्रभावी सशर्त उपागम वितरण और कंटेंट संरक्षण तथा सुरक्षा प्रणालियां और संबद्ध भौतिक सुरक्षा तथा प्रचालनात्मक पद्धतियां (जिसे इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से "सुरक्षा प्रणालियां" कहा गया है) तैनात, अनुरक्षित और प्रवर्तित करेगा। करार में निर्दिष्ट सुरक्षा अपेक्षाओं के संबंध में डीटीएच प्रचालक के अनवरत अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु ....(प्रसारक का नाम) के लिए तकनीकी लेखापरीक्षाओं ("तकनीकी लेखापरीक्षा") की आवश्यकता होगी, जिन्हें ....(प्रसारक का नाम) की लागत और व्यय पर, अवधि के दौरान प्रतिवर्ष दो वर्ष से अनधिक बार के लिए ....(प्रसारक का नाम) द्वारा लिखित में अनुमोदित एक स्वतंत्र प्रतिभूति प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षक ("तकनीकी लेखापरीक्षक") द्वारा संचालित किया जाएगा। यदि किसी तकनीकी लेखापरीक्षक के परिणामों को डीटीएच प्रचालक अथवा ....(प्रसारक का नाम) द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो ....(प्रसारक का नाम) डीटीएच प्रचालक को अधिसूचित करेगा तथा ....(प्रसारक का नाम) आगामी चौदह (14) कार्य दिवसों में इस मुद्दे के निपटान के लिए डीटीएच प्रचालक के साथ कार्रवाई करेगा। यदि तब भी कोई समाधान नहीं निकलता है, तथा ....(प्रसारक का नाम) अपने स्वयं के विवेक पर, चैनलों के वितरण करने के डीटीएच प्रचालक के अधिकार तब तक निलंबित कर सकेगा अथवा करार के अंतर्गत यथाउपबंधित कोई, अन्य कार्रवाई कर सकेगा, जब तक कि ऐसी प्रणालियों, पद्धतियों तथा सुरक्षा उपायों को ....(प्रसारक का नाम) की संतुष्टि के अनुरूप सही न कर दिया गया हो। डीटीएच प्रचालक यह सत्यापित करने के लिए कि प्रणालियों, पद्धतियों और सुरक्षा उपायों को डीटीएच प्रचालक द्वारा ....(प्रसारक का नाम) की संतुष्टि के अनुसार सही कर दिया गया है, किसी पश्चातवर्ती तकनीकी लेखापरीक्षा की लागत और व्यय का वहन करेगा। डीटीएच प्रचालक इसके प्लेटफार्म के माध्यम से वितरित/प्रसारित किए गए चैनलों की किसी चोरी, कॉपी राइट के उल्लंघन तथा उनके अनधिकृत अवलोकन का पता लगाने के लिए कम–से–कम प्रत्येक 10 मिनट पर 24X7X365(6) आधार पर फिंगर प्रिटिंग तंत्र स्थापित करेगा। डीटीएच प्रचालक ऐसे समय पर जब चैनल उपलब्ध कराए गए हों, किसी चैनल के किसी भाग को डीटीएच प्रचालक द्वारा वितरण के अलावा उसे रिकॉर्ड करने, प्रतिकृति तैयार करने, केबलकास्ट करने, प्रदर्शित करने अथवा डीटीएच प्रचालक द्वारा वितरण के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्राधिकृत, कारित अथवा आक्रांत नहीं करेगा। यदि डीटीएच प्रचालक को यह ज्ञात होता है कि कोई अनधिकृत तीसरा पक्ष किसी अन्य

	प्रयोजन के लिए किसी चैनल अथवा सभी चैनलों को रिकॉर्ड कर रहा है, प्रतिकृति तैयार कर रहा है, केबल कास्टिंग कर रहा है अथवा अन्यथा उपयोग कर रहा है, तो डीटीएच प्रचालक ऐसी रिकार्डिंग, डुप्लीकेटिंग, केबलकास्टिंग, प्रदर्शन अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अथवा सभी चैनलों के अन्यथा प्रयोग के बारे में ऐसे अवगत होने से दस मिनट के भीतर ....(प्रसारक का नाम) को अधिसूचित करेगा और डीटीएच प्रचालक भी ऐसे अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए संबंधित सेट टॉप बॉक्स को बंद कर देगा। तथापि, पसर्नल वीडियो रिकार्डर/डिजिटल वीडियो रिकार्डर सुविधा, जोकि डीटीएच प्रचालक द्वारा उपलब्ध कराई गई है, के साथ सेट टॉप बॉक्स का प्रयोग उस समय तक अनधिकृत प्रयोग नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसे सेट टॉप बॉक्स का प्रयोग प्रत्येक डीटीएच प्रचालक तथा सब्सक्राइबर के बीच सब्सक्रिप्शन करार के निबंधनों और शर्तों के अनुरूप किया जा रहा है। यदि ....(प्रसारक का नाम) द्वारा सूचना (जैसाकि नीचे परिभाषित किया गया है) के माध्यम से ऐसे निदेशित किया गया हो, तो डीटीएच प्रचालक ....(प्रसारक का नाम) से ऐसा आदेश प्राप्त होने के समय से दस मिनट के भीतर किसी अनधिकृत सब्सक्राइबर/पाइरेसी में संलिप्त सब्सक्राइबर को प्रसारण बंद कर देगा अथवा गैर–प्राधिकृत कर देगा। इस खंड के अंतर्गत किसी सूचना को केवल तभी वैध सूचना के रूप समझा जाएगा यदि (i) सूचना पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत प्रपत्र में ई–मेल के माध्यम से भेजी गई है तथा (ii) सूचना ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा भेजी गई है जो ऐसी सूचना को भेजने के लिए नामनिर्दिष्ट है। तथापि, "सूचना" ....(प्रसारक का नाम) के प्रतिनिधियों द्वारा संप्रेषण के अन्य साधनों जैसे टेलीफोन संदेश, फैक्स आदि के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा सकती है तथा उक्त "सूचना" की पुष्टि बाद में ....(प्रसारक का नाम) द्वारा ई–मेल के माध्यम से की जाएगी तथा डीटीएच प्रचालक ऐसी सूचना पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।
रिपोर्टें	डीटीएच प्रचालक अपने स्वयं के व्यय पर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली ("एसएमएस") का अनुरक्षण करेगा जोकि कैस (सर्शत उपागम प्रणाली) के साथ पूरी तरह से एकीकृत होनी चाहिए। डीटीएच प्रचालक ....(प्रसारक का नाम) को ....(प्रसारक का नाम) द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में प्रत्येक माह की समाप्ति से सात (7) दिन के भीतर ....(प्रसारक का नाम) चैनलों को अंतर्विष्ट करने वाले टियर और/अथवा पैकेज तथा ....(प्रसारक का नाम) चैनलों के लिए पूर्ण एवं सही ओपनिंग एवं क्लोजिंग मासिक रिपोर्टें उपलब्ध कराएगा। ऐसी रिपोर्टों में मासिक औसत सब्सक्राइबर स्तर (जिसमें शामिल हैं, परंतु जो प्रत्येक (प्रसारक का नाम) चैनल तथा प्रत्येक पैकेज जिसमें .... (प्रसारक का नाम) चैनल शामिल है, के लिए सब्सक्राइबरों की संख्या तक सीमित नहीं है) के आकलन के लिए अपेक्षित समस्त जानकारी तथा .... (प्रसारक का नाम) को देय लाइसेंस शुल्क, निर्दिष्ट होगा तथा इसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित किया जाएगा जो विभागाध्यक्ष/मुख्य वित्तीय अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो जो यह प्रमाणित

	करेगा कि रिपोर्ट में समस्त जानकारी सत्य और सही है।
लेखापरीक्षा	.........(प्रसारक का नाम) के प्रतिनिधियों के पास, एक कैलेण्डर वर्ष में दो से अनधिक बार, करार के अंतर्गत ....(प्रसारक का नाम) को समुचित रूप से भुगतानयोग्य राशियों, सब्सक्राइबर रिपोर्टों में अंतर्विष्ट जानकारी तथा करार के निबंधनों और शर्तों के पूर्ण अनुपालन के सत्यापन के प्रयोजनार्थ सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली, सशर्त उपागम प्रणाली, अन्य संबद्ध प्रणालियों, प्रसारक द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनलों से संबंधित सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली के अभिलेखों की पुनरीक्षा करने और/अथवा लेखापरीक्षा कराने का अधिकार होगा। यदि ऐसी पुनरीक्षा और/अथवा लेखापरीक्षा से पता चलता है कि ....(प्रसारक का नाम) को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना है, तो डीटीएच प्रचालक तत्काल ऐसे शुल्क का भुगतान विलंबित भुगतान ब्याज दर की बढ़ी हुई राशि के अनुसार कर देगा। यदि किसी अवधि के लिए देय कोई शुल्क डीटीएच प्रचालक द्वारा प्रतिवेदित ऐसी किसी अवधि के लिए देय बनने वाले शुल्क से दो (2) प्रतिशत अथवा उससे ज्यादा हो जाता है, तो डीटीएच प्रचालक ऐसी पुनरीक्षा और/अथवा लेखापरीक्षा के संबंध में उपगत ....(प्रसारक का नाम) की समस्त लागत का भुगतान कर देगा तथा भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। डीटीएच प्रचालक करार के अंतर्गत डीटीएच प्रचालक द्वारा संकलित किए गए समस्त ग्राहक डाटाबेस का एकमात्र स्वामी और धारक होगा। डीटीएच प्रचालक अपने स्वयं के व्यय पर एक सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली ("एसएमएस") का अनुरक्षण करेगा, जो कम–से–कम, निम्नलिखित के लिए सक्षम होगीः– (i) एक कम्प्यूटरीकृत ग्राहक डाटाबेस का अनुरक्षण करने के लिए जो नाम, पते, भुगतान एवं बिलिंग की चुनी गई पद्धति सहित प्रत्येक सब्सक्राइबर के पर्याप्त विवरणों की रिकॉर्डिंग में सक्षम होगी; (ii) नए सब्सक्राइबरों के लिए अनुबंधों को तैयार करने और वितरित करने के द्वारा सब्सक्राइबरों के सब्सक्रिप्शनों को प्रशासित करने तथा ऐसी अवसंरचना की स्थापना और अनुरक्षण करने में, जिसके द्वारा अनवरत प्रशासन के लिए एसएमएस डाटाबेस में सब्सक्राइबरों के अनुबंध संग्रहित और रिकार्ड किए जाते हैं; (iii) सब्सक्राइबरों के संबंध में, समस्त अनवरत प्रशासनिक कृत्यों के निपटान में जिसमें, बिना सीमा के, सब्सक्रिप्शन भुगतानों की बिलिंग और संग्रहण, ऋण नियंत्रण, विक्रय पूछताछ तथा शिकायतों का निपटान शामिल है; (iv) प्रोग्रामिंग पैकेजों के सब्सक्राइबरों को बिक्री के लिए डीटीएच प्रचालक के प्राधिकृत एजेंटों को समय–समय पर देय किसी कमीशन फीस के भुगतानों को प्रशासित करना; (v) रिसीवरों तथा स्मार्टकार्डों, यदि लागू हैं, को प्राप्त करना व सब्सक्राइबरों को उनका वितरण करना, तथा अपने विवेक के अनुसार समय–समय पर रिप्लेसमेंट स्मार्टकार्ड जारी करना और (vi) एमएसएम ओवर–द–एयर एड्रेसिंग प्रणाली के माध्यम से नए सब्सक्राइबरों को समर्थ बनाना तथा दोषपूर्ण सब्सक्राइबरों को अपने विवेक के अनुसार, समय–समय, पर अशक्त करना।

अवधि	जैसीकि ....(प्रसारक का नाम) तथा डीटीएच प्रचालक के बीच पारस्परिक सहमति से तय की जाए, जोकि करार को हस्ताक्षर करने की तारीख से न्यूनतम एक (1) वर्ष के अध्यधीन होगी, जब तक कि यह करार के अनुरूप पहले समाप्त न हो जाए। करार के अवधि को पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों पर बढ़ाया जा सकेगा तथा जिसे लिखित में दर्ज किया जाएगा।
समाप्ति	किसी भी पक्ष को निम्नलिखित के होने पर, लागू विधि के अध्यधीन, दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस द्वारा इस करार को समाप्त करने का अधिकार हैः– 1. दूसरे पक्ष द्वारा इस करार के वास्तविक उल्लंघन पर जिसे तीस (30) दिन के भीतर, ठीक न किया गया हो, जोकि लिखित में ऐसा करने के लिए अपेक्षित अवधि है; 2. दीवालिएपन, परिक्षीणता तथा अन्य पक्ष की परिसंपत्तियों पर प्राप्तकर्ता की नियुक्ति पर; 3. डीटीएच प्रचालकों अथवा इसकी डीटीएच सेवा को प्रचालित करने के लिए आवश्यक किसी अन्य वास्तविक लाइसेंस के उस समय रद्द होने पर, जोकि डीटीएय प्रचालक के दोष के कारण के अलावा हुआ हो। ....(प्रसारक का नाम) के पास डीटीएच प्रचालक को लिखित नोटिस देकर इस करार को समाप्त करने का अधिकार होगा यदि (i) डीटीएच प्रचालक चोरी–प्रतिरोधी अपेक्षाओं में से किसी का उल्लंघन करता है तथा दस (10) दिन के भीतर ऐसे उल्लंघन का उपचार करने में असफल रहता है, जोकि ऐसा करने के लिए लिखित में दी गई अवधि है, अथवा (ii) ....(प्रसारक का नाम) क्षेत्र में सभी वितरकों के संबंध में ....(प्रसारक का नाम) चैनल को बंद कर देता है तथा डीटीएच प्रचालक को न्यूनतम नब्बे (90) दिन का पूर्व–लिखित नोटिस प्रदान करता है। डीटीएच प्रचालक .... (प्रसारक का नाम) को लिखित नोटिस देकर इस करार को समाप्त करने का अधिकार रखता है, यदि डीटीएच प्रचालक अपने डीटीएच व्यवसाय को बंद कर देता है और न्यूनतम नब्बे (90) दिन का पूर्व–लिखित नोटिस प्रदान करता है।
अधिकार क्षेत्र	विनियंत्रण विधि भारतीय विधि होगी तथा टीडीसैट के पास करार के कारण/के संबंध में अथवा इसके परिणामस्वरूप पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के संबंध में अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

टिप्पणीः— उपर्युक्त अनुसूची में आने वाले "डीटीएच प्रचालक" पदबंध को एड्रेसेबल प्लेटफार्म के प्रतीतात्मक उपयुक्त पदनाम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसके लिए प्रसारक द्वारा संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव जारी किया जाना है।

अनुसूची III का अनुलग्नक

लाइसेंस फीस दरें

(क) अला–कार्टे दरें

चैनल	डीटीएच प्रचालक को दर (रु0)

(ख) <u>बुके की दरें</u>

बुके–1

चैनल	डीटीएच प्रचालक को दर (रु0)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

बुके–2

चैनल	डीटीएच प्रचालक को दर (रु0)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

बुके–3

चैनल	डीटीएच प्रचालक को दर (रु0)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

अनुसूची IV

डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों के क्रियान्वयन के लिए सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी), सशर्त उपागम प्रणाली (कैस) और सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के लिए विनिर्देशन

(क) <u>एसटीबी अपेक्षाएं:</u>

1. सभी एसटीबी में एम्बेडेड उपागम एक्सेस होनी चाहिए।
2. एसटीबी को हैडएंड द्वारा इंसर्ट किए गए सर्शत उपागम की डीक्रिप्टिंग करने में समर्थ होना चाहिए।
3. एसटीबी को प्रत्यक्ष फिंगर प्रिटिंग करने में समर्थ होना चाहिए। एसटीबी एंटाइटलमेंट कंट्रोल मैसेज (ईसीएम) एवं एंटाइटलमेंट मैनेजमेंट मैसेज (ईएमएम), दोनों पर आधारित फिंगर प्रिंटिंग को समर्थित करना चाहिए।
4. एसटीबी हैडएंड से वैयक्तिक रूप से एड्रेसेबल होना चाहिए।
5. एसटीबी हैडएंड से मैसेजिंग लेने में समर्थ होना चाहिए।
6. मैसेजिंग करैक्टर क्षमता न्यूनतम 120 कैरेक्टर होनी चाहिए।
7. इसमें वैश्विक मैसेजिंग, ग्रुप मैसेजिंग तथा वैयक्तिक एसटीबी मैसेजिंग के लिए प्रावधान होना चाहिए।
8. एसटीबी में फोर्स्ड मैसेजिंग क्षमता होनी चाहिए।
9. एसटीबी बीआईएस के अनुरूप होना चाहिए।
10. डिक्रिप्शन तथा डिकम्प्रेशन के बीच कंटेंट प्राप्त करने के लिए एसटीबी के भीतर एक प्रणाली होनी चाहिए।
11. ओवर–द–एयर (ओटीए) सॉफ्टवेयर अपग्रेड को सुकर बनाने के लिए एसटीबी ओवर–द–एयर एड्रेसेबल होना चाहिए।

(ख) <u>फिंगरप्रिटिंग आवश्यकताएं:</u>

1. फिंगर प्रिटिंग रिमोट पर कोई कुंजी दबाने के द्वारा रिमूवेबल नहीं होनी चाहिए।
2. फिंगर प्रिटिंग वीडियो की सबसे ऊपरी लेयर पर होनी चाहिए।
3. फिंगर प्रिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि यह विशेष एसटीबी संख्या अथवा विशेष व्यूविंग कार्ड (वीसी) संख्या को पहचान सके।
4. फिंगर प्रिटिंग एसटीबी की सभी स्क्रीनों पर प्रदर्शित होनी चाहिए जैसे मीनू, ईपीजी आदि।
5. फिंगर प्रिटिंग की लोकेशन हैडएंड से परिवर्तनीय होनी चाहिए तथा व्यूविंग उपस्कर पर यादृच्छिक होनी चाहिए।
6. फिंगर प्रिटिंग कैरेक्टरों की संख्या को देने में सक्षम होनी चाहिए ताकि यूनीक एसटीबी और/अथवा वीसी की पहचान की जा सके।
7. फिंगर प्रिटिंग ग्लोबल तथा साथ ही वैयक्तिक एसटीबी आधार पर संभव होनी चाहिए।
8. प्रत्यक्ष फिंगर प्रिटिंग तथा संबंधित प्रसारकों के ऑन–स्क्रीन डिस्पले (ओएसडी) संदेश समय, स्थान, अवधि तथा फ्रीक्वेंसी के संबंध में बिना किसी परिवर्तन के प्रदर्शित होने चाहिए।
9. किसी सामान्य इंटरफेस ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई) का प्रयोग न किया जाए।
10. एसटीबी के पास प्रावधान होना चाहिए कि ओएसडी कभी भी अशक्त न हो।

(ग) <u>कैस तथा एसएमएस आवश्यकताएं:</u>

1. सर्शत उपागम प्रणाली के चालू संस्करण का हैकिंग का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए।
2. फिंगर प्रिंटिंग किसी अन्य उपस्कर अथवा सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा अवैध नहीं हो जानी चाहिए।
3. एसटीबी तथा वीसी को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैडएंड से पियर करना चाहिए।
4. एक्टिवेशन तथा डीएक्टिवेशन प्रक्रिया के लिए एसएमएस तथा सीए को एसएमएस से एकीकृत करना चाहिए तथा ऐसा दोनों प्रणालियों के माध्यम से एक–साथ किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीए प्रणाली सभी एक्टिवेशनों और डीएक्विेशनों के लॉग सृजित करने में स्वतंत्र रूप से समर्थ होनी चाहिए ।
5. हैकिंग के ज्ञात मामले में, सीए कंपनी सीए के उन्नयन में क्षमता रखने वाली होनी चाहिए।
6. एसएमएस तथा कैस, चैनल द्वारा चैनल पर तथा एसटीबी द्वारा एसटीबी आधार पर सब्सक्राइबरों को वैयक्तिक रूप से एड्रेस करने में सक्षम होने चाहिए।
7. एसएमएस कम्प्यूटरीकृत होना चाहिए तथा सब्सक्राइबरों से सरोकार रखने वाली महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़ों को रिकार्ड करने में समर्थ होना चाहिए, जैसे:

    क) विशेष ग्राहक आईडी
    ख) सब्सक्रिप्शन अनुबंध संख्या
    ग) सब्सक्राइबर का नाम
    घ) बिलिंग पता
    ङ) स्थापना पता
    च) लैंडलाइन नम्बर
    छ) मोबाइल नम्बर
    ज) ई–मेल आईडी
    झ) .... को सब्सक्राइबर की गई सेवा/पैकेज
    ञ) विशेष एसटीबी संख्या
    ट) विशेष वीसी संख्या

8. एसएमएस निम्नलिखित करने के लिए सक्षम होना चाहिए:
    क) एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन आदि के संदर्भ में ऐतिहासिक आंकड़ों का अवलोकन तथा मुद्रण।
    ख) प्रत्येक तथा हर सेट टॉप बॉक्स/वीसी यूनिट का पता लगाने में।
    ग) एसएमएस किसी अपेक्षित समय पर निम्नलिखित की रिपोर्टिंग करने में सक्षम होना चाहिए।

        i) प्राधिकृत किए गए सब्सक्राइबरों की कुल संख्या
        ii) नेटवर्क में सब्सक्राइबरों की कुल संख्या
        iii) किसी विशेष तारीख को कोई विशेष सेवा सब्सक्राइबर करने वाले सब्सक्राइबरों की कुल संख्या

iv) सब्सक्राइबर द्वारा अला–कार्टे आधार पर चुने गए चैनलों के विवरण
v) पैकेज में चैनलों के पैकेजवार विवरण
vi) पैकेजवार सब्सक्राइबर सदस्य
vii) किसी विशेष चैनल अथवा पैकेज पर सब्सक्राइबर का चुनाव
viii) पिछले 2 वर्षों की अवधि के लिए उक्त संदर्भित सभी डाटा का इतिहास

9. एसएमएस तथा कैस प्रणाली पर कम–से–कम एक मिलयन समवर्ती सब्सक्राइबरों को निपटाने में समर्थ होने चाहिए।
10. सीए तथा एसएमएस, दोनों ही प्रणालियां उत्कृष्ट संगठन की होनी चाहिए तथा इन्हें वर्तमान में अन्य पे–टेलीविजन सेवाओं द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाया जा रहा हो, जिनके पास वैश्विक पे–टीवी बाजार में न्यूनतम एक मिलयन सब्सक्राइबर हों।
11. कैस प्रणाली प्रदाता किसी विशेष चैनल पर अथवा किसी विशेष पैकेज पर एक्टिवेशनों का मासिक लॉग प्रदान करने में समर्थ होना चाहिए।
12. एसएमएस मदवार बिल जैसे विषय–वस्तु की लागत, उपस्करों का किराया, कर आदि सृजित करने में समर्थ होना चाहिए।
13. सीए तथा एसएमएस प्रणाली आपूर्तिकर्ता के पास भारत में तकनीकी क्षमता होनी चाहिए कि वह पूरे वर्ष के दौरान 24X7 आधार पर प्रणाली का अनुरक्षण कर सके।
14. कैस एवं एसएमएस के पास ऐसे वीसी नम्बरों तथा एसटीबी नम्बरों को टैग तथा ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान होना चाहिए जो पूर्व में चोरी में शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीसी अथवा एसटीबी की पुनः तैनाती न की जाए।''

(एन0 परमेश्वरन)
प्रधान सलाहकार (बीएंडसीएस)

टिप्पणी 1. प्रधान विनियम अधिसूचना सं0 8–26/2004–बीएंडसीएस दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा इनमें बाद में अधिसूचना सं0 3–57/2005–बीएंडसीएस दिनांक 3 मार्च, 2005, सं0 11–13/2006–बीएंडसीएस दिनांक 24 अगस्त, 2006, सं0 6–4/2006–बीएंडसीएस दिनांक 04 सितम्बर, 2006 और सं0 4–54/2007–बीएंडसीएस दिनांक 3 सितम्बर, 2007 द्वारा संशोधन किए गए।

टिप्पणी 2. व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

अनुबंध

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि

1. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 प्रसारण और केबल सेवाओं के संबंध में अंतरसंयोजन के लिए विनियामक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से 10 दिसम्बर, 2004 को जारी किया गया था। इन विनियमों को इसलिए जारी किया गया था ताकि टीवी चैनलों के वितरक सभी प्रसारकों के कंटेंट की गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से एक्सेस प्राप्त कर सकें तथा सिगनलों को समाप्त किए जाने से पूर्व, यथास्थिति किसी प्रसारक अथवा एमएसओ द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी करने को अधिदेशित किया जा सके ताकि उपभोक्ता अपने हितों का संरक्षण करने में समर्थ हो सकें।

2. इन विनियमों में इनके जारी किए जाने की तारीख से लेकर अब तक चार बार संशोधन किया जा चुका है। संशोधन विनियम विद्यमान उपबंधों के आशोधन और परिवर्धन के लिए तथा कुछ ऐसे नए मुद्दों के लिए जो उस समय तक विनियमों में शामिल नहीं किए गए थे, को शामिल करने के लिए 3 मार्च 2005, 24 अगस्त, 2006, 4 सितम्बर, 2006 तथा 3 सितम्बर, 2007 को जारी किए गए थे। कैस की अधिसूचना, डीटीएच तथा अन्य एड्रेसेबल प्रणालियों के संवर्धन के कारण प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र में विगत समय में होने वाले परिवर्तनों तथा अंतरसंयोजन विनियमों के क्रियान्वयन में हासिल किए गए अनुभवों के कारण ऐसे संशोधन अवश्य हो गए थे। हाल ही में, एड्रेसेबल तथा गैर–एड्रेसेबल प्लेटफार्मों से संबंधित कतिपय मुद्दों पर इन विनियमों में संशोधन करने पप विचार करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, एक संशोधन प्रक्रिया आरंभ की गई, जैसाकि आगे उल्लेख किया गया है।

परामर्श प्रक्रिया

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात ट्राई अधिनियम, 1997 कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii) और (iv) में प्राधिकरण के लिए उपबंध है कि वह "(ii) .....सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन के लिए निबंधन और शर्तें नियत करे," "(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सामंजस्य और प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करे," तथा, "(iv) सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त हुए उनके राजस्व की साझेदारी की व्यवस्था को विनियमित करे;"। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा (4) प्राधिकरण से अपेक्षा करती है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय तथा इसके कृत्यों के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। तदनुसार, प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 का संशोधन करने से पूर्व एक परामर्श–प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया।

3. परामर्श प्रक्रिया का प्रारंभ प्रसारण और केबल से संबंधित अंतरसंयोजन मुद्दों पर 15 दिसम्बर, 2008 को एक परामर्श–पत्र परिचालित करने के माध्यम से किया गया था जिसमें पणधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं। 29 पणधारकों/प्रतिनिधियों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं।

परामर्श–पत्र में उठाए गए विभिन्न मुद्दो पर आगे विचार–विमर्श करने के लिए पणधारकों के प्रतिनिधियों के साथ 6 फरवरी, 2009 को कोलकाता में एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई थी। प्राधिकरण ने अंतरसंयोजन विनियमों में संशोधन के लिए संशोधित विनियम का मसौदा अपनी वेबसाइट पर 26 फरवरी, 2009 को जारी किया था ताकि पणधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की जा सकें। टिप्पणियां 7 मार्च, 2009 तक मांगी गईं थीं। 9 पणधारकों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। विनियमों को अंतिम रूप देते समय इन टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया।

परामर्श के मुद्दे

4. परामर्श–पत्र में परामर्श के लिए उठाए गए मुद्दों को नीचे पुनः उद्धृत किया गया है।

क. एड्रेसेबल प्लेटफार्म के लिए अंतरसंयोजन

क1. क्या अंतरसंयोजन विनियम द्वारा प्रसारकों के लिए सभी एड्रेसेबल प्रणालियों हेतु संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) प्रकाशित करने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, तथा क्या ऐसे आरआईओ सभी एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए समान होने चाहिए अथवा क्या किसी प्रसारक को भिन्न प्लेटफार्म के लिए भिन्न आरआईओ का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

क2. क्या कोई ऐसी कार्य–पद्धति है जोकि गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के लिए कंटेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

क3. ऐसे न्यूनतम विनिर्देशन/शर्तें क्या होनी चाहिएं कि कोई टीवी चैनल वितरण प्रणाली अन्य एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के समान निबंधनों पर सिगनलों की प्राप्ति करने में संतुष्टि प्रदान कर सके? क्या परामर्श–पत्र के अनुबंध में दर्शाए गए विनिर्देशन इस संबंध में पर्याप्त रहेंगे?

क4. यह सुनिश्चित करने तथा सत्यापित करने के लिए क्या कार्य–पद्धति होनी चाहिए कि अन्य एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के समान निबंधनों पर सिगनल प्राप्त करने का आशय रखने वाला कोई वितरण नेटवर्क एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करे?

क5. गैर–कैस क्षेत्रों में हाइब्रिड केबल नेटवर्कों का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए जो दोनों अर्थात, एनालॉग (बिना एन्क्रिप्शन) तथा डिजिटल (एन्क्रिप्शन सहित) प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं ?

क6. क्या "वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों" को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है तथा वह परिभाषा क्या होनी चाहिए?

क7. क्या प्रसारकों को गैर–वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए प्रसारकों को आरआईओ से भिन्न वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्मों हेतु आरआईओ प्रकाशित करने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए?

क8. क्या विनियम में संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों (आरआईओ) के स्थान पर सभी एड्रेसेबल प्रणालियों हेतु संदर्भ अंतरसंयोजन करार (आरआईए) प्रकाशित करने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए?

क9. क्या अंतरसंयोजन करारों के हस्ताक्षर के लिए विनिर्दिष्ट 45 दिन की समयावधि को उस समय घटा दिया जाना चाहिए जब आरआईओ को ऊपर दिए गए सुझाव के अनुसार आरआईए से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है?

क10. क्या विनियम में प्रसारकों को किसी एड्रेसेबल प्लेटफार्म में चैनलों की पैकेजिंग पर किसी प्रकार की सीमाएं अधिरोपित करने से विनिर्दिष्ट तौर पर प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए?

क11. क्या विनियम में प्रसारकों को किसी एड्रेसेबल प्लेटफार्म में चैनलों के मूल्य निर्धारण पर किसी प्रकार की सीमाएं अधिरोपित करने से विनिर्दिष्ट तौर पर प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए?

ख गैर–एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के लिए अंतरसंयोजन

ख1. क्या विनियम में गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ में निबंधन और शर्तों तथा विवरणों को विशेष रूप से शामिल करना निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जैसाकि डीटीएच के लिए किया गया है?

ख2. गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ में शामिल किए जाने के लिए क्या निबंधन और शर्तें तथा विवरण निर्दिष्ट किए जाने चाहिए?

ग. सामान्य अंतरसंयोजन मुद्दे

ग.1 क्या यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि इससे पूर्व कि कोई सेवा प्रदाता अंतरसंयोजन विनियमों के अधीन प्रदान किए गए लाभों/संरक्षणों का लाभ उठाने के लिए पात्र बने, उसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि वह सेवा गुणवत्ता विनियमों के अंतर्गत यथालागू सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है?

ग2. क्या अंतरसंयोजन विनियम के खंड 3.2 की प्रयोज्यता को सीमित किया जाना चाहिए ताकि टीवी चैनलों के किसी वितरक को किसी प्रसारक से अंतरसंयोजन विनियम के खंड 3.2 के निबंधनों में ऐसे चैनलों के सिगनल प्राप्त करने से रोका जा सके, जिनके संबंध में टीवी चैनलों के वितरकों द्वारा प्रसारक से कैरिज शुल्क की मांग की जा रही है?

ग3. क्या कैरिज शुल्क की कतिपय विशेषताओं जैसे स्थायित्व, पारदर्शिता संभाव्यता और आवधिकता तथा साथ ही टीएएम/टीआरपी रेटिंग और कैरिज शुल्क के बीच संबंध को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है?

ग4. यदि हां, तो ऐसे विनियम की रीति क्या होनी चाहिए?

ग5. क्या प्रसारकों और एमएसओ के बीच मानक अंतरसंयोजन करार को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि एमएसओ, जिसे कैस–क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है, कैस क्षेत्रों में एमएसओ से सहबद्ध केबल प्रचालकों को सिगनलों के कैरिज के लिए हिट्स प्रचालक की अवसंरचना का उपयोग करने में समर्थ हो सके?

ग6. क्या प्राधिकरण द्वारा प्रसारकों तथा हिट्स प्रचालकों के बीच मानक अंतरसंयोजन करार को निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है तथा क्या यह मोटे तौर पर वैसा ही होना चाहिए जैसेकि कैस अधिसूचित क्षेत्रों में प्रसारकों और एमएसओ के बीच विनिर्दिष्ट किया गया है?

ग7. यह सुनिश्चित करने के लिए और आगे क्या विनियामक उपाय किए जाने की आवश्यकता है कि डीटीएच प्रचालक सब्सक्राइबरों के लिए छह माह का संरक्षण उपलब्ध कराने में समर्थ हैं, जैसाकि डायरेक्ट–टु–होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक तथा शिकायतों का निराकरण) विनियम, 2007 के खंड 9 के उप–खंड (1) में उपबंध किया गया है?

ग8. इस उद्देश्य के लिए, क्या प्रसारकों के लिए अंतरसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख के पश्चात छह माह की अवधि के लिए डीटीएच प्रचालकों को सिगनल प्रदान करना जारी रखना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ताकि डीटीएच प्रचालक अपने दायित्वों का निवर्हन कर सकें?

ग9. क्या ऐसा कोई अन्य विनियामक उपाय है जिसमें समान उद्देश्य की प्राप्ति हो सके?

घ. अंतरसंयोजन करारों का पंजीकरण

घ1. क्या सभी अंतरसंयोजन करारों को लिखित में सीमित किया जाना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए?

घ2. क्या प्रसारकों/एमएसओ के लिए यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि वे केवल विधिवत रूप से लिखित अंतरसंयोजन करार करने के बाद ही टीवी चैनलों के किसी वितरक को सिगनल प्रदान करें?

घ3. क्या ऐसे टीवी चैनलों के वितरकों के लिए कोई विनियामक संरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए जिन्होंने लिखित में अंतरसंयोजन करार नहीं किया है?

घ4. ऐसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की प्रति टीवी चैनलों के वितरकों को दी जा रही है?

घ5. क्या, यथास्थिति, एमएसओ अथवा एलसीओ को हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की प्रति सौंपना तथा इस संबंध में पावती प्राप्त करना प्रसारक की जिम्मेदारी होना चाहिए? क्या ऐसी ही जिम्मेदारी एमएसओ को भी दी जानी चाहिए जब वे अपने संबद्ध एलसीओ के साथ अंतरसंयोजन करार कर रहे हों?

परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण

सभी एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ

5. अधिकांश प्रसारक सभी एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ रखने के पक्ष में थे। तथापि, कुछ प्रसारकों ने इस विचार का विरोध किया। टीवी चैनलों के सभी वितरक चाहते थे कि प्रसारक सभी एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ प्रकाशित करें। वैयक्तिक तथा उपभोक्ता समूहों ने भी सभी एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ कर अवधारणा का पक्ष लिया। तथापि, सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्मों पर समान आरआईओ रखने के मुद्दे पर प्रसारकों के बीच सहमति नहीं थी। टीवी चैनलों के वितरकों में भी इस विषय पर मतभेद था।

एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशन

6. अधिकांश प्रसारकों का यह मत था कि एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए परामर्श–पत्र के साथ संलग्न विनिर्देशन अपर्याप्त हैं। टीवी चैनलों के वितरकों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद था। जबकि उपभोक्ता समूहों ने यह महसूस किया कि विनिर्देशन पर्याप्त हैं, व्यक्ति–विशेषों ने अनुलग्नक में दिए गए एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए विनिर्देशन को अपर्याप्त बताया।

वाणिज्यिक सब्सक्राइबर

7. अधिकांश सब्सक्राइबरों ने सुझाव दिया कि ''वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों'' को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। टीवी चैनलों के सभी वितरकों, जिनमें दो डीटीएच प्रचालक अपवाद थे, ने भी इस राय से सहमति व्यक्त की। दो डीटीएच प्रचालकों, जिन्होंने ''वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों'' को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता का विरोध किया था, ने सुझाव दिया कि वाणिज्यिक और आवासीय सब्सक्राइबरों के बीच कोई विभेद नहीं होना चाहिए। इन डीटीएच प्रचालकों द्वारा यह कहा गया कि किसी एड्रेसेबल प्लेटफार्म के मामले में, प्रत्येक एवं हर सब्सक्राइबर को हिसाब में लिया जाता है, तथा आवासीय एवं वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के बीच कोई विभेद नहीं होना चाहिए। वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों सहित सभी प्रकार के सब्सक्राइबरों को एड्रेसेबल प्लेटफार्मों द्वारा सिगनलों की आपूर्ति के लिए समान दर और निबंधन एवं शर्तें लागू की जानी चाहिए। उपभोक्ता समूहों तथा व्यक्ति–विशेषों ने भी ''वाणिज्यिक सब्सक्राइबर'' को परिभाषित करने का पक्ष लिया। जहां तक वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्मों हेतु आरआईओ प्रकाशित करने के लिए प्रसारकों को अधिदेशित करने के मुद्दे का संबंध है, अधिकांश प्रसारक ऐसे संशोधन से सहमत थे। टीवी चैनलों के सभी वितरक, जिनमें दो डीटीएच प्रचालक अपवाद थे, भी यह चाहते थे कि प्रसारकों को वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्मों हेतु आरआईओ प्रकाशित करने के लिए अधिदेशित किया जाए। दो डीटीएच प्रचालकों ने, जिन्होंने वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए ऐसे आरआईओ की आवश्यकता का विरोध किया था, सुझाव दिया कि वाणिज्यिक तथा आवासीय सब्सक्राइबरों के बीच कोई विभेद नहीं होना चाहिए।

सभी एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन करार

8. इस प्रस्ताव का अधिकांश प्रसारकों द्वारा विरोध किया गया। दूसरी ओर, टीवी चैनलों के अधिकांश वितरकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। उपभोक्ता समूह तथा व्यक्ति–विशेषों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है।

चैनलों की पैकेजिंग/मूल्य–निर्धारण पर निर्बंधन

9. सभी प्रसारकों ने एड्रेसेबल प्लेटफार्मों पर पैकेजिंग सीमाएं अधिरोपित करने से प्रसारकों पर किसी प्रकार का प्रतिषेध लगाने का विरोध किया है। टीवी चैनलों के सभी वितरक ऐसा प्रतिषेध अधिदेशित करना चाहते थे। उपभोक्ता समूहों तथा वैयक्तिक पणधारकों ने भी ऐसे प्रतिषेध का पक्ष लिया है। एड्रेसेबल प्लेटफार्मों पर मूल्य–निर्धारण निर्बंधन अधिरोपित करने से प्रसारकों पर प्रतिषेध के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। तथापि, एक प्रसारक कंपनी एड्रेसेबल प्लेटफार्मों में मूल्य–निर्धारण निर्बंधन अधिरोपित करने से प्रसारकों को रोकने की अवधारणा से सहमत थी। इस प्रसारक कंपनी ने यह बताया कि क्षेत्र में प्लेटफार्मों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा है, अतः बाजार की शक्तियों को प्लेटफार्मों द्वारा चैनलों के मूल्य–निर्धारण को अवधारित करने देना चाहिए तथा प्रसारकों को चैनलों के मूल्य–निर्धारण पर कोई निर्बंधन अधिरोपित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

गैर–एड्रेसेबल प्लेटफार्म के लिए अंतरसंयोजन

10. गैर–कैस टैरिफ आदेश के आठवें संशोधन को माननीय टीडीसैट ने 2006 की अपील संख्या 9(सी) तथा 2007 की अपील संख्या 10(सी), 11(सी), 12(सी), 13(सी) और 15(सी) में दिनांक 15 जनवरी, 2009 को दिए गए अपने निर्णय में निरस्त कर दिया है। तदनुसार, प्राधिकरण ने वर्तमान में गैर–एड्रेसेबल प्लेटफार्म के लिए अंतरसंयोजन से संबंधित मुद्दों की जांच करना उपयुक्त नहीं समझा है क्योंकि गैर–एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के लिए अंतरसंयोजन से संबंधित प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य अंतरसंयोजन विनियमों के उपबंधों के साथ टैरिफ आदेश के उपबंधों का सामंजस्य करना था।

सेवा गुणवत्ता विनियमों का अनुपालन

11. अधिकांश पणधारकों ने इस अवधारणा का पक्ष लिया है कि अंतरसंयोजन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभों/संरक्षणों का उपयोग करने के लिए सेवा प्रदाता के पात्र बनने से पूर्व उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह सेवा गुणवत्ता विनियमों के अंतर्गत यथालागू समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। तथापि, इसका विरोध दो डीटीएच प्रचालकों द्वारा इस आधार पर किया गया है कि ऐसा कोई कदम अंतरसंयोजन तथा कंटेंट के सुचारू वितरण के लाभ को समाप्त करेगा, और यह अवनति का कदम हो सकता है, तथा यह कि दो मुद्दों को आपस में जोड़ने से केवल संदेह की स्थिति ही पैदा होगी और यह प्रसारक को गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर सेवा प्रदाता को सिगनल प्रदान न करने का बहाना बनाने का अवसर प्रदान करेगा।

कैरिज शुल्क – अंतरसंयोजन विनियम के खंड 3.2 की प्रयोज्यता को निर्बंधित करना

12. सभी प्रसारकों ने यह मांग की है कि ''मस्ट प्रोवाइड'' उपबंध को केवल उन्हीं चैनलों के लिए सीमित किया जाना चाहिए जिनके संबंध में टीवी चैनलों के वितरक द्वारा कैरिज शुल्क की मांग की जा रही है। दूसरी ओर, टीवी चैनलों के सभी वितरकों ने ऐसी किसी सीमा का विरोध किया है। उपभोक्ता समूहों ने प्रसारकों के मतों से सहमति व्यक्त की है तथा वैयक्तिक पणधारकों में इस मुद्दे पर मतभेद है।

कैरिज शुल्क – विनियम की आवश्यकता

13. टीवी चैनलों के वितरकों ने कैरिज शुल्क के लिए किसी भी विनियम का विरोध किया है। उनके द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि यह मुद्दा काफी जटिल और संश्लिष्ट है तथा कैरिज शुल्क को विनियंत्रित करने के लिए कोई भी सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता है। यह उल्लेख किया गया है कि अवसंरचना लागत और विलयन सब्सक्रिप्शन राजस्वों के बीच मेल न होने के कारण एड्रेसेबल प्लेटफार्म को भरी प्रचालनात्मक घाटा होता है। इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किसी प्रसारक विज्ञापन राजस्व विनियमित नहीं किया जा सकता है और इसी प्रकार कैरिज शुल्क का निर्णय बाजारी शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि दोनों घनिष्ठता से जुड़े हैं। दूसरी ओर, प्रसारकों ने कैरिज शुल्क पर कुछ विनियमों की मांग की है। एक प्रसारक ने यह सुझाव दिया कि विनियामक एक पृथक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तथा एक मुख्य परामर्श समिति, जिसमें सभी पणधारक शामिल हों, के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त करे और एक संतुलित तंत्र का विकास करे।

कैस क्षेत्रों के लिए मानक अंतरसंयोजन करार – हिट्स प्रचालक अवसंरचना का प्रयोग

14. टीवी चैनलों के सभी वितरकों ने कैस क्षेत्रों के लिए मानक अंतरसंयोजन करारों में संशोधन की मांग की ताकि एमएसओ सिग्नलों के लिए हिट्स प्रचालकों की अवसंरचना का उपयोग कर सकें। उपभोक्ता समूह ने भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए । इस मुद्दे पर प्रसारकों में मतभेद था । प्रसारकों और हिट्स प्रचालकों के बीच मानक अंतरसंयोजन करार विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता के मुद्दे पर सभी पणधारकों के समूह अर्थात् प्रसारक, टीवी चैनलों के वितरक और उपभोक्ताओं के बीच मतभेद था।

डीटीएच सब्सक्राइबरों के लिए टैरिफ संरक्षण

15. प्रसारक डीटीएच प्रचालकों को उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु समर्थ बनाने के लिए अंतरसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि के लिए डीटीएच प्रचालकों को सिगनल देना जारी रखने की प्रसारकों पर थोपी गई किसी प्रकार की बाध्यता के खिलाफ हैं। डीटीएच प्रचालक चाहते थे कि ऐसी कोई व्यवस्था शुरू की जाए। इस मुद्दे पर एमएसओ के बीच मतभेद था और उपभोक्ता समूह प्रसारकों की बात से सहमत थे।

लिखित अंतरसंयोजन करार को अनिवार्य बनाना

16. लगभग सभी पणधारकों ने यह सुझाव दिया कि सभी अंतरसंयोजन करारों को लिखित रूप देना अनिवार्य बनाया जाए। एक प्रसारक ने इस आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध किया इस संबंध में कोई विनियम नहीं होना चाहिए । एक डीटीएच प्रचालक ने यह टिप्पणी की कि देश के कानून के अनुसार लिखित अंतरसंयोजन करारों का होना जरूरी नहीं है (संविदा अधिनियम के अनुसार) और इसलिए ऐसी अपेक्षा स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत होगी । एक अन्य डीटीएच प्रचालक का यह मत था कि अंतरसंयोजन करार करने का तरीका एक प्रचालनात्मक विषय है और इसका निर्णय बाजारी शक्तियों को करने देना चाहिए।

17. अधिकांश पणधारक इस पक्ष में थे कि प्रसारक/एमएसओ के लिए यह अनिवार्य हो कि वे विधिवत रूप से एक लिखित अंतरसंयोजन करार निष्पन्न करने के बाद ही सिग्नल उपलब्ध कराएं। तथापि, यह राय भी व्यक्त की गई कि निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने के बाद एक विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निश्पन्न करने का शपथ–पत्र देने पर सिग्नल उपलब्ध कराए जाएं। एक पणधारक ने यह भी कहा कि कभी–कभी किसी औपचारिक करार के बिना न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सिग्नल उपलब्ध कराए जाते हैं।

18. अधिकांश पणधारकों ने लिखित अंतरसंयोजन करार न करने वाले टीवी चैनलों के वितरकों से विनियामक संरक्षण वापस लेने की वकालत की। इसी प्रकार, एमएसओ/एलसीओ को लिखित करार की प्रतियां सौंपने की जिम्मेदारी निर्धारित करने के मुद्दे पर कुछ पणधारक यह चाहते थे कि इसके लिए प्रसारकों/एमएसओ को जिम्मेदार माना जाए।

द्वितीय चरण की परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण

19. एक एमएसओ तथा एक डीटीएच प्रचालक ने सुझाव दिया कि आईपीटीवी की परिभाषा को अंतरसंयोजन विनियमों में अंतर्विष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईपीटीवी सेवाओं के प्रावधान के लिए दिशा–निर्देश 8 सितम्बर, 2008 को पहले ही जारी कर दिए हैं ।

20. ऐसे मामलों में, जहां कैरिज शुल्क की भी मांग की जा रही है, अंतरसंयोजन विनियमों के खंड 3.2 की प्रयोज्यता को निर्बंधित करने के मुद्दे पर दो एमएसओ ने प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया। एक डीटीएच प्रचालक तथा एक एमएसओ ने सुझाव दिया कि ऐसे किसी निर्बंधन द्वारा वितरकों को स्थापन प्रभार प्रभारित करने से नहीं रोका जाना चाहिए।

21. लिखित करार को अधिदेशित करने वाले प्रस्तावित करारों का एक प्रसारक द्वारा स्वागत किया गया, जबकि अन्य प्रसारकों ने यह कहते हुए प्रस्ताव का विरोध किया कि ऐसी कोई शर्त प्रसारकों पर वाणिज्यिक लागत अधिरोपित करेगी। एक डीटीएच प्रचालक ने संविदा अधिनियम का हवाला दिया तथा यह कहा कि संविदा अधिनियम के अनुसार लिखित करार अनिवार्य नहीं है। एक डीटीएच प्रचालक तथा एक एमएसओ ने इंगित किया कि कभी–कभी सिगनल न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उपलब्ध कराए जाते हैं तथा प्रस्तावित संशोधन में ऐसे मामलों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

22. प्रस्तावित अधिनियम, जिसमें प्रसारकों तथा एमएसओ से अपेक्षा की गई है कि वे हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की एक प्रति एमएसओ/केबल प्रचालकों को सौंपे, का एक प्रसारक द्वारा विरोध किया गया। दो पणधारकों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि, यथा–स्थिति, प्रसारकों, एमएसओ अथवा एचआईसीटीएस प्रचालकों द्वारा हस्ताक्षरित करारों की प्रतियां सौंपे जाने के लिए एक समय–सीमा निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

23. दो पणधारकों ने प्रसारकों द्वारा डीटीएच प्रचालकों के लिए संशोधित आरआईओ जारी करने के लिए समय–सीमा निर्दिष्ट करने के लिए विनियम 13.2क में संशोधनों का सुझाव दिया है। सात दिन की समय–सीमा सुझाई गई है।

24. वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को सिगनलों की आपूर्ति के लिए डीटीएच प्रचालकों को समर्थ बनाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का एक प्रसारक को छोड़कर सभी पणधारकों द्वारा स्वागत किया गया है, जिसने संशोधन का विरोध किया है और यह कहा है कि अपने हितों के संरक्षण के लिए सब्सक्राइबरों के पास मोलाभाव करने की पर्याप्त शक्ति विद्यमान है। एक पणधारक ने वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को सिगनलों की आपूर्ति के लिए डीटीएच प्रचालकों को समर्थ बनाने वाले प्रस्ताव का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही आरआईओ के मामले में आवासीय और वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के बीच किसी विभेद का विरोध किया है।

25. वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए भिन्न आरआईओ के बारे में प्रस्तावित संशोधन का एक प्रसारक द्वारा विरोध किया गया है। प्रसारक ने टिप्पणी की है कि यदि ऐसा कोई विनियम बनाया ही जाना है, तो विभिन्न वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए विभिन्न आरआईओ की अनुमति दी जानी चाहिए। कुछ अन्य पणधारकों ने टिप्पणी की है कि विभिन्न एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए विभिन्न आरआईओ की अनुमति दिया जाना एक स्वागत योग्य कदम है।

26. दो पणधारकों ने एड्रेसेबल प्रणालियों हेतु प्रसारकों द्वारा संशोधित आरआईओ जारी करने के लिए समय–सीमाएं निर्दिष्ट करने के लिए विनियम 13.2ख.1 में संशोधनों का सुझाव दिया है। पन्द्रह दिन की समय–सीमा सुझाई गई है।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 में संशोधन करने का तर्काधार

27. प्राधिकरण ने यह नोट किया कि प्रौद्योगिकी उन्नयन से आगामी वर्षों में टीवी चैनलों के वितरण हेतु एड्रेसेबल प्रणाली के बाजार–हिस्से में वृद्धि होगी। डीटीएच के अलावा, हिट्स और आईपीटीवी प्लेटफार्म पहले से पे–टीवी बाजार में मौजूद हैं। देश के विभिन्न भागों में केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण और स्वैच्छिक कैस की शुरूआत भी हो चुकी है। अतः प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि अंतरसंयोजन विनियम एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए अंतरसंयोजन करार में सहायक बनें। इसके अलावा, अधिकांश पणधारक सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के लिए आरआईओ के पक्ष में हैं तद्नुसार, प्राधिकरण ने प्रसारकों द्वारा सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्मों (कैस अधिसूचित क्षेत्रों में केबल सेवाओं को छोड़कर) के लिए आरआईओ प्रकाशित करना अधिदेशित किया है। इसके साथ–साथ प्राधिकरण ने प्रसारकों को विभिन्न एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए विभिन्न आरआईओ रखने की अनुमति दे दी है। प्रसारकों को यह नम्यता विभिन्न एड्रेसेबल प्रणालियों की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अपने आरआईओ से परिचित होने हेतु दी गई है। विनियमों में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा (आईपीटीवी) की परिभाषा अंतःस्थापित की गई है क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 8 सितम्बर, 2008 को आईपीटीवी सेवाओं के प्रावधान के लिए दिशा–निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं तथा अनेक सेवा प्रदाताओं ने अपनी आईपीटीवी सेवाएं पहले ही क्रियान्वित कर दी हैं।

28. प्राधिकरण यह तथ्य भी स्वीकार करता है कि किसी एड्रेसेबल प्रणाली के कतिपय न्यूनतम विनिर्देशनों को अपफ्रंट में विनिर्दिष्ट किए जाने की जरूरत है ताकि इस संबंध में प्रसारकों तथा टीवी चैनलों के वितरकों के बीच के विवाद को कम किया जा सके। प्राधिकरण ने एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशनों (सूक्ष्म आशोधनों के साथ) को अपनाने का निर्णय लिया है जिन्हें पूर्व में डिजिटलीकरण और स्वैच्छिक कैस लागू करने के मद्दों पर विचार करने हेतु ट्राई, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, प्रसारकों, एमएसओ, डीटीएच प्रचालकों, केबल प्रचालक/वितरक संघों और उपभोक्ता संगठनों के सदस्यों से मिलकर प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विशेषज्ञ समूह द्वारा संस्तुत किया गया है। ये विनिर्देशन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुबंध 'ग' के रूप में संलग्न हैं । इसके अलावा, जहां पर प्रचालक का यह मत है कि टीवी चैनलों के वितरक द्वारा तैनात एड्रेसेबल प्रणाली न्यूनतम विनिर्देशनों को पूरा नहीं करती है वहां ऐसी एड्रेसेबल प्रणाली की लेखा–परीक्षा करने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की गई है।

29. प्राधिकरण ने गैर–कैस क्षेत्रों में हाइब्रिड केबल नेटवर्क, जो दोनों प्रकार की सेवाएं अर्थात् एनालॉग (बिना एंक्रिप्शन) एवं डिजिटल (एंक्रिप्शन सहित) प्रदान करता है, के संबंध में विशेष विनियम निर्धारित न करने का निर्णय लिया चूंकि अंतरसंयोजन विनियमों में एड्रेसेबल के साथ–साथ गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों का भी ध्यान रखा जाता है। पक्ष वाणिज्यिक बातचीत के माध्यम से इसका परिष्कृत विवरणों का आकलन कर सकते हैं।

30. प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि कई प्रसारकों द्वारा प्रकाशित आरआईओ डीटीएच प्रचालकों को रिहायशी सब्सक्राइबरों से भिन्न सब्सक्राइबरों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने से रोकता है । प्राधिकरण का यह मत है कि ऐसी कोई शर्त डीटीएच प्रचालकों को कई ऐसे सब्सक्राइबरों को सेवाएं देने से रोकती है जो उनकी सेवाएं लेने के इच्छुक हैं। इसके साथ–साथ, प्रसारकों के हितों की भी रक्षा किए जाने की जरूरत है। तद्नुसार, प्राधिकरण ने प्रसारकों को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी डीटीएच प्रचालक को वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों सहित किसी भी श्रेणी के सब्सक्राइबरों को उसकी डायरेक्ट–टु–होम सेवा उपलब्ध न कराने को बाध्य करने से प्रतिषिद्ध किया है। इसके साथ–साथ प्रसारकों को समय–समय पर यथासंशोधित दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 के खंड 2 के उप–खंड (च) की मद (ii) में सूचीबद्ध विशेष वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को डीटीएच प्रचालकों द्वारा सिग्नल देने हेतु एक पृथक संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) देने की अनुमति दी गई है। ये उपबंध अन्य एड्रेसेबल प्लेटफार्मों हेतु आरआईओ पर भी लागू हैं।

31. प्राधिकरण ने एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन करार (आरआईए) को अधिदेशित न करने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर, यह महसूस किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा आरआईओ के महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तों को निर्दिष्ट किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरआईओ में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जो विनियमों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के विपरीत है। प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि आरआईओ के स्थान पर आरआईए को अधिदेशित किए जाने की जरूरत नहीं है चूंकि प्राधिकरण महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तें पहले ही निर्दिष्ट की जा चुकी हैं।

32. प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने के लिए विनियम 13.2क.11 में संशोधन किया है कि डीटीएच प्रचालकों और अन्य एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के पास किसी प्रसारक से चैनलों की पैकेजिंग के

संबंध में पूरी नम्यता हो। जहां तक एड्रेसेबल प्लेटफार्मों पर चैनलों पर मूल्य–निर्धारण संबंधी निर्बंधन लगाने का संबंध है, प्राधिकरण का यह मत है कि यह एक वाणिज्यिक मुद्दा है जिसे प्रसारक और टीवी चैनलों के वितरक परस्पर बैठकर सुलझाएं।

33. प्राधिकरण ने इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण किया है कि क्या यथालागू सेवा–गुणवत्ता विनियमों के अंतर्गत सभी अपेक्षाओं की पूर्ति को किसी सेवा प्रदाता के लिए अंतरसंयोजन विनियमों के अंतर्गत दिए गए लाभ/संरक्षण का फायदा लेने हेतु एक पूर्व–शर्त बनाया जाए। प्राधिकरण ने ऐसे किसी प्रावधान को शुरू न करने का निर्णय लिया है क्योंकि यह महसूस किया गया कि ऐसे किसी प्रावधान से मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

34. प्राधिकरण ने इस अवस्था में निम्न कारणों से कैरिज शुल्क के विनियमन के विरूद्ध निर्णय लिया :–

(क) कैरिज शुल्क बाजार आधारित प्रक्रिया है और कैरिज शुल्क के स्तर का निर्धारण बाजारी शक्तियों द्वारा किया जाता है । कैरिज शुल्क वितरण प्लेटफार्मों की क्षमता संबंधी बाधाओं के कारण मांग–आपूर्ति में असमानता का प्रत्यक्ष परिणाम है।

(ख) एक प्रसारक द्वारा कैरिज/स्थापन/तकनीकी भ्रुल्क की अदायगी प्रसारक को बढ़े हुए विज्ञापन राजस्व के माध्यम से होने वाले परिकल्पित लाभ से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। यह संबद्धता टीएएम शहरों (ऐसे शहर जहां रेटिंग एजेंसियों ने प्रतिदर्श कुटुम्बों में अपने मीटर उपकरण लगा रखे हैं) में कैरिज शुल्क के अधिकतम स्तर द्वारा प्रकट होती है। अतः विज्ञापन राजस्व को विनियमित किए बिना कैरिज शुल्क का विनियमन नहीं किया जा सकता है।

(ग) कैरिज शुल्क की वसूली की प्रतिपूर्ति अंततः विज्ञापनदाताओं से टीवी चैनलों पर उच्च विज्ञापन प्रभारों के माध्यम से हो जाती है। तथापि, इस संबंध में अभी तक किसी विज्ञापनदाता ने कोई आपत्ति नहीं की है।

(घ) देश में प्रसारण और केबल टीवी बाजार में अपर्याप्त डिजिटलीकरण के फलस्वरूप ही मूलतः बाजार में कैरिज शुल्क का प्रादुर्भाव हुआ है। टीवी चैनलों के कुछ वितरकों ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कैरिज शुल्क की वास्तव में आवश्यकता है । इसे सीलिंग या कैरिज पर एक प्रभार विनिर्दिष्ट करके विनियमित करने का कोई प्रयास डिजिटल नेटवर्कों की तैनाती को धीमा कर देगा।

(ङ) कैरिज शुल्क की अदायगी प्रायः नकद या वस्तु के रूप में की जाती है (हैड एंड हेतु उपकरण, विदेशी दौरा, उपहार आदि)। इसके अतिरिक्त, कैरिज शुल्क लेने वाले टीवी चैनलों के कई वितरक छोटे प्रचालक हैं और उनके खाते सांविधिक लेखा–परीक्षा के अध्यधीन नहीं है। इसलिए कैरिज शुल्क के किसी विनियमन से यह निश्चित है कि यह एक अत्यंत त्रुटिपूर्ण विनियम होगा। इसके अलावा, कैरिज शुल्क विनियमन में प्रवर्त्तन संबंधी समस्याएं आने की संभावना है जिससे बाजार में अन्य विकृतियां आएंगी।

(च) यदि कैरिज शुल्क के लिए कोई सीलिंग निर्धारित की जाती है तो यह संभावना है कि और अधिक चैनल, उपलब्ध चैनल स्लॉट की संख्या की तुलना में अधिकतम अनुमत्य कैरिज शुल्क की अदायगी करने के इच्छुक हों। ऐसी स्थिति में किस चैनल को कैरी करना है उसके चयन के परिणामस्वरूप पुनः गुप्त सौदे होंगे।

(छ) टीवी चैनलों के कुछ वितरकों का अन्य व्यवसाय भी है (जैसे समाचार–पत्र, रेडियो स्टेशन, मनोरंजन पार्क आदि)। यदि टीवी चैनलों के ऐसे वितरक अन्य कंपनियों द्वारा एक समूह के भीतर बेचे गए अन्य माल या सेवाओं के लिए अदायगी के रूप में कैरिज शुल्क वसूलना शुरू कर दें, तो कैरिज शुल्क को विनियमित करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा।

(ज) कैरिज शुल्क किसी चैनल की लोकप्रियता से भी संबंधित है, जिसका निर्धारण बाजार करता है। ऐसे परिदृश्य में, विविध प्रकार की लोकप्रियता वाले चैनलों के लिए विनियम के माध्यम से एक कैरिज शुल्क प्रणाली निर्धारित करना काफी मुश्किल होगा।

(झ) कैरिज शुल्क पर कोई विनियम लागू करने हेतु कोई उपयुक्त तंत्र नहीं है।

35. तथापि, प्राधिकरण ने उन चैनलों में इसकी प्रयोज्यता को सीमित करने हेतु विनियम 3.2 में संशोधन किया है जिनके संबंध में टीवी चैनलों के वितरक द्वारा अपने वितरण प्लेटफार्म पर चैनलों के कैरिज के लिए प्रसारक से किसी शुल्क की मांग की जा रही है। ऐसा यह सुनिश्चित करने हेतु किया गया है कि प्रसारकों को विनियम 3.2 के संदर्भ में उनके चैनल की आपूर्ति करने और न ही उन्हें उस चैनल हेतु कैरिज शुल्क की अदायगी हेतु बाध्य किया जाए। यह संशोधन टीवी चैनलों के वितरक को विनियम 3.2 का दुरूपयोग करने से रोकने हेतु किया गया है। तथापि, यह संशोधन टीवी चैनलों के वितरक को उस मामले में किन्हीं अन्य प्रसारकों के चैनलों की तुलना में किसी प्रसारक के उसके वितरण प्लेटफार्म में चैनल के स्थापन हेतु शुल्क वसूलने से नहीं रोकता है, यदि प्रसारक उस चैनल को एक फ्रीक्वेंसी–विभोष पर रखना चाहता हो।

36. दर्शक संख्या बढ़ाने तथा उनके चैनल(लों) के राजस्व में वृद्धि करने के लिए उनके चैनल (लों) को अपेक्षित फ्रीक्वेंसी/टियर/पैकेज पर रखने के लिए प्रसारकों द्वारा टीवी चैनलों के वितरकों को "स्थापन शुल्क" का भुगतान किया जाता है। स्थापना शुल्क "कैरिज शुल्क" से भिन्न है तथा प्राधिकारण द्वारा इन दो निबंधनों को परिभाषा खंड में परिभाषित किए जाने से इस पहलू को विशेष रूप से मान्यता प्रदान की गई है। संशोधन का आशय केवल कैरिज शुल्क के मुद्दे का समाधान करना है, न कि स्थापन शुल्क का, जोकि बाजार की शक्तियों तथा प्रसारक(कों) और वितरक(कों) के बीच पारस्परिक बातचीत द्वारा विनियंत्रित किया जाता है।

37. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हिट्स प्लेटफार्मों के लिए लाइसेंसिंग नीति अभी तक जारी नहीं की है। ऐसे परिदृश्य में, प्राधिकरण वर्तमान में हिट्स प्रचालकों के लिए कोई विनियम बनाने को उचित नहीं मानता है। तद्नुसार, संशोधन विनियम में हिट्स संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं किया गया है।

38. प्राधिकरण यह महसूस करता है कि डीटीएच सब्सक्राइबरों को छह माह का टैरिफ संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य को डीटीएच प्रचालकों द्वारा प्रसारकों के साथ उपयुक्त अंतरसंयोजन करार करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, डीटीएच प्रचालकों के पास यह भी विकल्प है कि वे ऐसे पैकेज में नए सब्सक्राइबरों का नामांकन बंद कर दें जिनमें से आगामी छह महीने में चैनल हटाया जाना है। तद्नुसार, प्राधिकरण ने इस अवस्था में सब्सक्राइबर को छह महीने का टैरिफ संरक्षण देने में डीटीएच प्रचालकों की सहायता हेतु कोई विनियामक उपाय शुरू न करने का निर्णय

लिया जैसाकि डायरेक्ट–टु–होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक और शिकायतों का निराकरण) विनियम, 2007 के खंड 9 के उप–खंड (1) में उपबंधित है।

39. प्राधिकरण की यह राय है कि एक लिखित अंतरसंयोजन करार न होने से काफी विवाद होता है। इसके अतिरिक्त, अंतरसंयोजन करार रजिस्टर में मौखिक करारों को रिकार्ड करना संभव नहीं है। इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर प्राधिकरण ने यह अधिदेशित किया है कि पे–चैनलों के प्रसारक या टीवी चैनलों के वितरक जैसे मल्टी सिस्टम प्रचालक या हैडएंड इन द स्काई प्रचालक एक लिखित अंतरसंयोजन करार किए बिना टीवी चैनलों के किसी वितरक का टीवी चैनल सिग्नल उपलब्ध नहीं कराएंगे। इसके अलावा, टीवी चैनलों के वितरक को हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की एक प्रति सौंपने और इसकी पावती लेने की जिम्मेदारी पे–चैनलों के प्रसारकों को दी गई है। इसी तरह की जिम्मेदारी मल्टी सिस्टम प्रचालकों को दी गई है कि वे केबल प्रचालकों को हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की एक प्रति सौंपे और इस संबंध में पावती लें।

40. प्राधिकरण ने किसी अंतरसंयोजन करार में शामिल किए जाने के लिए न्यूनतम आवश्यक विवरण निर्दिष्ट नहीं किए हैं। अतः दो सेवा प्रदाताओं द्वारा हस्ताक्षर की गई टर्म–शीट ही इन विनियमों की अपेक्षा के अनुसार अनुपालन के लिए पर्याप्त होगी। अतः सिगनलों की आपूर्ति को टर्म–शीट हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात प्रारंभ किया जा सकता है। विस्तृत करार बाद में हस्ताक्षरित किया जा सकता है ।

41. मौखिक अंतरसंयोजन करारों की प्रथा को रोकने के लिए विनियम 4.1 के उपबंधों में भी संशोधन किया गया है ताकि केवल उन टीवी चैनलों के वितरकों, जिन्होंने लिखित अंतरसंयोजन करार किए हैं, को कोई नोटिस दिए बिना विच्छेदन से विनियामक संरक्षण मिले।

42. तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कई बार न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में टीवी चैनलों के वितरकों को सिग्नल दिए जाते हैं, अपवादस्वरूप एक व्यवस्था की गई है जिसमें टीवी चैनलों के प्रसारकों/वितरकों (एमएसओ/हिट्स प्रचालकों) को लिखित करार किए बिना टीवी चैनलों के वितरकों (एलसीओ) को सिग्नल देने का प्रावधान है।

————————